दस रुपया TEN RUPEES

(276) न्यायालय श्रीमान बोर्ड आफ रेवेन्यू, ग्वालियर म.प्र.

R. 2789-II/12

निगरानी प्र.कं. सन् 2012

घप्पू तनय लक्ष्मन अहिरवार
निवासी ग्राम देरी तहसील व
जिला छतरपुर म.प्र. आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

सदुवा तनय नन्ना चमार,निवासी
ग्राम देरी तह.व जिला छतरपुर म.प्र. अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

श्री के.के. द्विवेदी अधि. द्वारा आज दि. 29.8.12 को प्रस्तुत
29.8.12
क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व आदेश श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर प्र.कं. 28/निग./2011–12 आदेश दि. 24.7.12 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959.

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित सादर विनय प्रस्तुत करता है।

तथ्य प्रकरण

1. यह कि आवेदक ने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय छतरपुर प्र.कं.45/अपी./10–11 में पारित आदेश दि. 10.10.11 के विरूद्व निगरानी समयावधि के बाहर होने से म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जो प्र.कं. 28/निग/11–12 के रूप में दर्ज की गई । जिसमें दि.14.11.11 को स्थगन आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि.10.10.11 के कियान्वयन पर रोक लगाई थी ।

29.8.12 K.K. Dwivedi

2. यह कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है जो आपस में चाचा भतीजे हैं तथा हरिया अनावेदक सदुवा का पुत्र है जिसे प्रकरण में जानबूझकर अनावेदक सदुवा द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है । जबकि बटवारा में उसे हिस्सा प्रदान किये जाने के कारण और उक्त बटवारा को अपील में चुनौती दिये जाने के कारण सभी बटवारा से संबंधित पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक है ।

(3)

नि.अ. घप्पू

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2789-दो/2012 जिला छतरपुर घप्पू विरूद्ध सदुवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 28/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 24-07-2012 (Twenty Four) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 18-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	